भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †4615

उत्तर देने की तारीख- 21/08/2025

पीएम- जुगा के तहत प्रगति

†4615. श्री केसिनेनी शिवनाथः

श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम अभियान (पीएम- जुगा) के अंतर्गत गांवों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) आंध्र प्रदेश में उन समुदायों, विशेषकर वाल्मीकि बोया समुदाय, जो वर्तमान में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में मान्यता देने का अनुरोध कर रहे हैं, का ब्यौरा क्या है और ऐसी मान्यता मिलने पर पीएम-जुगा के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले अनुमानित लोगों की संख्या कितनी होगी, और
(ग) राज्य में, विशेषकर कम प्रतिनिधित्व वाले या गैर-मान्यताप्राप्त जनजातीय समुदायों के लिए, पीएम-जुगा के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" का उद्देश्य जनजातीय समुदायों और गांवों का समग्र विकास करना है, जो 50 या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले आकांक्षी ब्लॉकों और कम से कम 500 लोगों तथा 50% अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले गांवों पर केंद्रित है - जिसमें लगभग 63,643 गांव शामिल हैं। पाँच वर्षों (2024-25 से 2028-29) में, यह कार्यक्रम 26 राज्यों और 4 संघ राज्यक्षेत्रों के जनजातीय बहुल क्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों तक पहुँचेगा। वर्तमान में, सरकार की डीएजेजीयूए के अंतर्गत गाँवों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

(ख): आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 2017 में टीसीआरएंडटीआई द्वारा किए गए अध्ययन (डॉ. पीडी सत्य पाल कुमार, 2017) के अनुसार, वाल्मीकि बोया संघों ने 25,80,000 का अनुमानित आंकड़ा दिया था। आंध्र प्रदेश राज्य ने वाल्मीकि बोया समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भारत के महापंजीयक कार्यालय (ओआरजीआई) ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।

(ग): मंत्रालय अंतर भरण और डीएजेजीयूए के तहत स्वीकृत प्रगति की निगरानी के लिए “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” (डीएजेजीयूए) के तहत संबंधित विभागों और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित कर रहा है।

*****